an>

Title: Regarding providing job to the families of employees on compassionate ground at Bhabha Atomic Research Centre.

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने शून्य काल में मुझे बोलने का मौका दिया।

मेरे संसदीय क्षेत्र मुम्बई साउथ सैंट्रल में भाभा एटॉमिक सैंटर स्थित है। सभी सरकारी संस्थाओं में सरकारी सेवा शर्तें लागू होती हैं, परंतु उन सेवा शर्तों का बीएआरसी में ठीक से पालन नहीं किया जाता है। किसी कर्मचारी की अचानक मृत्यु के बाद जब उनके परिवार से अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन किया जाता है तो कई तरह की शर्तें लगाकर उन्हें रिजैक्ट कर दिया जाता है। जैसे दिवंगत कर्मचारी को मिलने वाला पैसा, उनकी संपत्ति या परिवार में कोई नौकरी कर रहा हो, तो उसकी सैलेरी तथा परिवार पैंशन जोड़कर आधार बनाया जाता है और आवेदन को यह कहकर रद्द कर दिया जाता है कि उनको अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं दी जा सकती। ऐसे बहुत सारे मामलों में प्रभावित लोग मेरे पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए क्योंकि उनके परिवार का ठीक से पालन-पोÂ◌ाण नहीं हो पा रहा है जबकि कार्मिक विभाग के ऑर्डर नं. 14014/02/2102-Estt(D), दिनांक 26.1.16 के पैरा संख्या 11(ए) और 18(सी) में साफ कहा गया है कि परिवार के किसी भी योग्य व्यक्ति को उसी सरकारी विभाग में नौकरी देनी चाहिए चाहे परिवार का कोई अन्य व्यक्ति नौकरी कर रहा हो। साथ ही परिवार की आमदनी में उन मदों को शामिल नहीं करना चाहिए जो कि दिवंगत कर्मचारी के परिवार को सरकार से ग्रैच्युटी पैंशन व अन्य वैलफेयर स्कीम्स के रूप में मिलते हैं।

अतः मेरा माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध है कि बीएआरसी के ऐसे पैंडिंग पड़े केसेज़ को निपटाने हेतु एक कमेटी गठित की जाए और बीएआरसी के ऐसे दिवंगत या रिटायर्ड कर्मचारियों के परिवार के किसी एक व्यक्ति को बीएआरसी में नौकरी हेतु सिफारिश करके उनके परिवार को रिलीफ दी जाए।